



उद्यान विभाग
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

जोबनेर, जिला जयपुर (राज.) 303329

फोन नं. 01425-254022 (का.), ई-मेल: hod.horti@sknau.ac.in

वेबसाइट: <https://skncoa.sknau.ac.in>



Dr. S. P. Singh
Prof. & Head

क्रमांक: एफ. ()/उद्यान/श्रीकनकृमवि/2025/1132

दिनांक: 19/08/25

कार्य आदेश

Firm Address

M/s Saarthi Printers, B-38, Alankar Plaza
Central Spine, Vidhyadhar Nagar, Jaipur-39

Mobile No. 9829792515, 6378575660
Email saarthiprinters@gmail.com

विषय:— Powder Coated Aluminium LED Display Board की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन
संदर्भ:— कोटेशन सूचना क्रमांक: Hort/SKNCOA/2025/1116 दिनांक 07-08-2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भ में लेख है कि आपकी फर्म की माल की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन की दरे कम पायी जाने एवं निविदा हेतु गठित उपापन समिति की सिफारिश एवं अधिष्ठाता द्वारा दर अनुमोदन आदेश उपरान्त आपको निम्नानुसार दरों पर श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के उद्यान विभाग में महाविद्यालय कोटेशन की शर्तों के अनुसार फर्म को माल की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन का कार्य-आदेश दिया जाता है।

S. No.	Item Description	Department Name (विभाग)	Qty	Amount/Item with GST	Total Amount with GST
1	LED Display Board size 4x3 feet, (Scroll LED lights with warranty, powder coated aluminium profile, eco printing, high quality print on translate film to create a visually appealing effects. High quality clear acrylic sheet with an LGP (Light Guide Pass) film, 12.5 volt power adapter with 1 year warranty	Horticulture	07 (4' x 3')	Rs. 8673/No.	60711.00


नोट:— निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों के साथ RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 पूर्ण रूप से लागू होकर ई-बिड के अनुसार RTPP नियम 2013 का नियम 29(ज) आप पर पूर्वतया प्रभावी रहेगा। महाविद्यालय एवं इसके विभागों में सामग्री आपूर्ति का कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

1.	माल की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन का कार्य	कार्य आदेश की दिनांक से 15 दिवस में
2.	बिल:	अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के नाम से तीन प्रतियों में

शास्ति: विलम्ब से आपूर्ति पर निम्न प्रकार से शास्ति वसूली जायेगी:-

Penalty: Penalty will be collected on late supply in the following manner:-

अ.	निर्धारित अवधि से 1/4 अवधि विलम्ब पर Delay up to one- fourth period of the prescribed Delivery Period	2.5 %
ब.	1/4 अवधि से अधिक आधी अवधि तक विलम्ब पर Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the Prescribed delivery period	05 %
स.	1/2 अवधि से अधिक तीन चौथाई तक अवधि विलम्ब पर Delay exceeding half but not exceeding three- fourth of the Prescribed delivery period	7.5 %
द.	3/4 अवधि से अधिक विलम्ब होने पर Delay exceeding three- fourth of the prescribed period	10 %


विभागाध्यक्ष उद्यान विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
3. संयोजक एवं सदस्य, निविदा समिति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
4. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
5. इंचार्ज सिमका, को भेजकर लेख है कि इसको विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड करावें।
6. रक्षित पत्रावली


विभागाध्यक्ष उद्यान विभाग